न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 64/2018

अनवान : –

1. श्योराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. भगवानाराम पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. पन्नाराम पुत्र पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. अमीलाल पुत्र निकुराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. रणजीत पुत्र निकुराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. प्रतापसिह पुत्र निकुराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. चन्द्रभान पुत्र निकुराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
9. महावीर प्रसाद पुत्र निकुराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
10. हंसराम पुत्र निकुराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
11. गिरधारी पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
12. अमरसिंह पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
13. धर्मपाल पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
14. परमेश्वरी पत्नी शेरसिंह पुत्र मनफुल उर्फ फूलाराम पुत्र भैरा जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
15. विनोद पुत्र शेरसिंह पुत्र मनफुल उर्फ फूलाराम पुत्र भैरा जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
16. दलिप पुत्र शेरसिंह पुत्र मनफुल उर्फ फूलाराम पुत्र भैरा जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
17. राजकुमार पुत्र शेरसिंह पुत्र मनफुल उर्फ फूलाराम पुत्र भैरा जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
18. भादरराम पुत्र मनफुल उर्फ फूलाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
19. गुलजारी पुत्र मनफुल उर्फ फूलाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
20. बलवीरसिंह पुत्र मनफुल उर्फ फूलाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
21. लक्ष्मण सिंह पुत्र मनफुल उर्फ फूलाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

– सायलान

बनाम

1 हरीसिंह पुत्र हरलाल उर्फ लालाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

2 दुनीराम पुत्र हरलाल उर्फ लालाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

3 तुलछा पुत्री हरलाल उर्फ लालाराम पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी घुड़साल तहसील आदमपुर जिला फतेहाबाद।

4 गुडडी पुत्री हरलाल पत्नी आमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी घुड़साल तहसील आदमपुर जिला फतेहाबाद।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5 चिड़ीया पुत्री हरलाल पत्नी भैराराम जाति मेघवाल निवासी निमला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

—असल गैरसायलान

7 सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।

8 साहबराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवास बरवाली तहसील नोहर।

9 महेन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवास बरवाली तहसील नोहर।

10 जुगलाल पुत्र पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवास बरवाली तहसील नोहर।

11 कोरा देवी पुत्री पुत्र सुरजाराम पत्नी बनवारी लाल जाति मेघवाल निवास भरवाना तहसील भादरा।

12 सुन्दर पुत्री सुरजाराम पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

13 धापी पत्नी बिरबल जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।

14 तीजा पुत्री बिरबल पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

15 कलावती पुत्री बिरबल पत्नी शेरसिंह जाति मेघवाल निवासी खारेका तहसील सिरसा।

16 गोपाल पुत्र बिरबल जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।

17 सोमती पुत्री धन्नाराम पत्नी लाधुराम जाति मेघवाल निवासी चक न0 26 एसएसडब्ल्यू तहसील फतेहगढ़।

18 बिदामी पुत्री धन्नाराम पत्नी लाधुराम जाति मेघवाल निवासी किसनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

19 रामप्यारी पुत्री धन्ना पत्नी रामलाल जाति मेघवाल निवासी किसनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

20 कमला पुत्री धन्नाराम पत्नी प्रेम कुमार जाति मेघवाल निवासी फतेहगढ़ ।

21 सरबती पुत्री निकुराम पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी पोहड़का तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

22 मीरा पुत्री निकुराम पत्नी भादरराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ तहसील रानिया जिला सिरसा।

23 तुलछा पुत्री निकुराम पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी झोथड़ तहसील रानिया जिला सिरसा।

24 सोना पुत्री निकुराम पत्नी भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 10 जीडी घड़साना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

25 बिमला पुत्री कुरड़ाराम पत्नी हजारीराम जाति मेघवाल निवासी गांधी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

26 रेशमा पुत्री कुरड़ाराम पत्नी मोमनराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

27 रामी पुत्री कुरड़ा पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणानान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

28 गोमती पुत्री कुरड़ा पत्नी भंवर जी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणनान तहसील नोहर जिला हनुमान[illegible]

29 मैनावती पुत्री कुरड़ा पत्नी [illegible] जाति मेघवाल निवासी आदमपुरा तहसील आदमपुर जिला [illegible] हरियाणा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

30 रामेश्वरी पुत्री मनफुल पत्नी बिरबल जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
31 सन्तोष उर्फ सददो पुत्री मनफुल पत्नी बुधराम जाति मेघवाल निवासी चौबरजा तहसील व जिला सिरसा।
32 ममता पुत्री गुडडी पुत्री बिरबलराम पत्नी अजय कुमार जाति मेघवाल निवासी नरेला दिल्ली।

—तरतीबी गैरसायलान

33 उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

— असल गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :— 1. श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः -06/05/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा बरवाली तहसील नोहर के खेवट संख्या 57 व खतौनी जमाबंदी स0 205 ता 209 के ख0न0 162 मीन की 72 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसके नेतु, पुरखा, भैरा पि0 लाभु जाति मेघवाल 3/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे तथा 1/4 हिस्सा भूमि के सुरजा वल्द बस्ती खातेदार काश्तकार थे । वाद भूमि भाखड़ा क्षेत्र में आने के कारण सम्वत 2016 में उक्त भूमि की पैमाईश की जाकर पर्चा खतौनी जारी की गई तथा वक्त बरवाली की वाद भूमि रोही मौजा चक न0 7 बारानी तहसील नोहर में परिवर्तित व पैमुद कर दी गई। नेतु, पुरखा, भैरा पि0 लाभु 3/4 हिस्सा के व सुरजा वल्द बस्ती 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे। कुल 43 बीघा भूमि नेतु, पुरखा व भैरा वल्द लाभु प्रत्येक के 1/4 हिस्सा अर्थात 10 बीघा 15 बिस्वा का प्रत्येक खातेदार काश्तकार था तथा उतनी ही भूमि हिस्सा में आई तथा सुरजा वल्द बस्ती के भी 1/4 हिस्सा में आयी तथा सुरजा वल्द बस्ती के भी 1/4 हिस्सा भूमि हिस्से में आयी। वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक न0 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 207—2073 के खाता संख्या 443/456 की कुल 10.8780 हैक्ट भूमि में हरलाल वल्द नेतराम 5 हिस्सा, धन्ना, निकु, कुरड़ा, श्योराम पि0 पुरखा, सुरजा वल्द बस्ती 1/4 हिस्सा, मनफुल वल्द भैरा, व धन्ना, निकु, कुरड़ा श्योराम पि0 पुरखा बहिब 2 हिस्सा, दर 3/4 हिस्सा कतई गलत तौर से दर्ज कर दी जबकि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 ने अपने नाम वाद भूमि वरवक्त पैमाईश सम्वत 2029 ता 38 के बंदोबस्त अधिकारियों से मिली भगत कर वाद भूमि पूर्व इन्द्राजात को तब्दील करवाकर अपने हक मे अधिक भूमि कतई गलत तौर से दर्ज करवा ली जबकि सेटलमेन्ट अथवा बन्दोबस्त अधिकारियों को वाद भूमि में परिवर्तन करने का कोई हक व अधिकार हासिल नही था। रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 443/456 की कुल 10.8780 हैक्ट भूमि में गैरसायलान संख्या 1 ता 5 ने अपने नाम 15/28 हिस्सा यानि 23 बिघा 1 बिस्वा अर्थात 5. 8275 हैक्ट भूमि गलत दर्ज करवा ली। जबकि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 का 1/4 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि के खातेदार काश्तकार थे अर्थात 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि इनके हिस्से में आती थी लेकिन गैरसायलान संख्या 1 ता 5 ने गैर कानूनी ढग से 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपने नाम गलत तौर से दर्ज करवा ली। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान संख्या 1 ता 5 के 5.2275 हैक्ट भूमि व मनफुल वल्द भैरा, धन्ना, निकु, कुरड़ा व श्योराम पि0 पुरखाराम के 2.331 हैक्ट यानि 9 बिघा 4 बिस्वा सुरजा वल्द बस्ती के 2.7195 हैक्ट भूमि सायलान के खातेदारी हकूक के विपरित दर्ज राजस्व रिकार्ड है। गैरसायलान संख्या 1 ता 5 का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर सायल व तरतीबी गैरसायल को उनका हक हिस्सा दिया जावे। वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 5 के नाम अनुचित तरीके से गलत दर्ज होने से गैरसायल संख्या वाद भूमि को अन्यत्र रहन/बैय करना चाहते है अतः गैरसायल संख्या 1 ता 5 के खिलाफ ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 443/456 की कुल 10.8780 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध उभयपक्ष इस आशय की जारी की गई की वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 व 7 ता 13 व 16 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश किया की जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा सही तौर से दर्ज हुआ है। वर्तमान में गैरसायल संख्या 1 ता 5 के नाम वाद भूमि दर्ज नही है। प्रार्थी द्वारा लिये गये उक्त स्थगन के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के विरासतन नामान्तरण दर्ज नही हो रहा है तथा बीमा क्लेम व केसीसी आदि नही बन पा रहे है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ताकि वाद भूमि का विरासतन नामान्तरण हो सके।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की गैरसायल संख्या 1 ता 5 के अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी है। वाद भूमि ज्यादा दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण वाद भूमि को रहन, बेय करना चाहते है अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की प्रार्थना पत्र में जारी उक्त अस्थाई स्थगन आदेश के कारण विरासतन इंतकाल दर्ज नही हो पा रहा है। हक हिस्सा मूल दावे में तय होना है अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकार की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रथम दृष्टया मामलाः–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में सायलान को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा सायलान को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है हस्तगत प्रकरण में हिस्सा कस्सी संशोधन से सम्बधित है जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर ही तय हो सकते है जब तक मुल वाद में हकों का निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित प्रतित होती है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के पक्ष में पाया जाता है गैरसायल का कथन है कि उसे विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने की छूट प्रदान की जावे ताकि गैरसायल के हकों की भी सुरक्षा हो सके जो न्यायोचित भी है क्योकि भूमि रहन बेय नही की जा रही है मुल वाद में हकों का निर्धारण होने पर वाद भूमि न्यायालय के आदेशानुसार ही दर्ज होगी।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायल को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं जब तक मुल वाद में हकों का निर्धारण नही हो जाता तब तक भूमि रहन बेय नही कर सके के लिये उभयपक्षों को पाबन्द किया जाना उचित है

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सम्बध में दिनांक 13.06.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा मुश्तरका खाते की भूमि रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखने की जारी की गई है जिससे उभयपक्षों को किसी प्रकार की हानी नही है क्योकि मुल वाद में हकों का निर्धारण होना शेष है

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.06.2018 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध उभयपक्ष ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है लेकिन उभयपक्ष उक्त वाद भूमि बाबत विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:46 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर